

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर बस्तर 494001 (छत्तीसगढ़)

फोन (कार्या) : 07782-222006 (निवास) : 227634 (फैक्स) : 07782-222120 E-mail-ccfjagdalpur@rediffmail.com

क्र./व.त.अ./ 1186

जगदलपुर, दिनांक 25.5.2017

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

भू - प्रबंध

छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय :- ग्राम- कोतापाल, जिला-बीजापुर में केन्द्रीय विद्यालय हेतु नुकनपाल OA कक्ष क्रमांक 1183 खसरा नं0 197 रकबा 3.996 हे0 वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन के संबंध में।

पंजीयन क्रमांक /FP/CG/SCH/26005/2017

संदर्भ :- वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल बीजापुर का पत्र क्रमांक/5069 दिनांक 24.05.2017।

-000-

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रतिवेदन है कि बीजापुर वनमण्डल बीजापुर के परिक्षेत्र बीजापुर (सा0) अन्तर्गत ग्राम- कोतापाल, जिला-बीजापुर में केन्द्रीय विद्यालय हेतु नुकनपाल OA कक्ष क्रमांक 1136 खसरा नं0 197 रकबा 3.996 हे0 केन्द्रीय विद्यालय हेतु चयन किया गया है। जिस हेतु उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार तैयार कर आवेदक संस्थान ने वनमण्डलाधिकारी बीजापुर वनमण्डल कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी बीजापुर वनमण्डल ने आवेदक संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव में वन विभाग से संबंधित जानकारी शामिल कर अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है। वनमण्डलाधिकारी बीजापुर वनमण्डल के प्रतिवेदन अनुसार प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. /एफ-11-98/एफ.सी. 13/02/2014 के द्वारा (Left wing Extremism affected districts) राज्य शासन को 5.000 हे. तक वन भूमि व्यपवर्तन का सामान्य अनुमोदन का अधिकार के तहत कृपया स्वीकृति प्राप्त करने बावत् अनुरोध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

03 प्रतियों में

पृ.क्र./व.त.अ./ 1187

जगदलपुर दिनांक

मुख्य वन संरक्षक,
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर
25.5.2017

प्रतिलिपि :-

1. कमिश्नर, बस्तर - संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला - बीजापुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल बीजापुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - बीजापुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रतयावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

7

भाग -3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा जाना है)

- 14- स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

हाँ

- 15- क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

सहमत

- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ सिफारिशें।

संबंधित

दिनांक :- 25-5-2017

स्थान :- जगदलपुर

(तपेश कुमार झा)

भा.व.से.
(तपेश कुमार झा)
मुख्य वन संरक्षक
जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर (उ.प्र.)
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर